

पचा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजरव) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ  
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि०न० 332 / 2025

1. जयप्रकाश पुत्र कृष्ण कुमार
2. राधा पत्नी कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासीयान बशीर तहसील टिब्बी
3. जितेन्द्र पुत्र पृथ्वीराज जिला हनुमानगढ।
4. सुभाषचन्द्र पुत्र पृथ्वीराज

वादीगण

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र सुखराम जाति सुथार निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. पृथ्वीराज पुत्र पतराम
3. मायादेवी पत्नी राजेश पुत्री सुखराम जाति सुथार निवासी थालडका तहसील नोहर ।
4. कमला पत्नी विनोद कुमार पुत्री पृथ्वीराज जाति सुथार निवासी साबुआना तहसील फाजिल्का
5. कैलाश पत्नी सत्यदेव पुत्री पृथ्वीराज जाति सुथार निवासी फतेहाबाद हरि० ।
6. मुन्नी बाई पत्नी बलदेवराम पुत्री पृथ्वीराज जाति सुथार निवासी सिंहपुरा तहसील फाजिल्का।
7. कृष्णा पत्नी भंवरलाल पुत्री पृथ्वीराज जाति सुथार निवासी सिंहपुरा तहसील फाजिल्का ।
8. मनीषा पत्नी रजत पुत्री कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी केरावाली तहसील श्रीगंगानगर।
9. दीपिका पत्नी हर्ष पुत्री कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी केरावाली तहसील श्रीगंगानगर ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 18/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है (क) वादी सं० 1 जयप्रकाश को प्राप्त आराजी - चकनं० 2 डीपीएम के खाता सं० 33/ 30 में प०न० 191/234 मु० 6 किलानं० 6,7,8,9,10

ख. वादीया सं० 2 राधा को प्राप्त आराजी - चक नं० 2 डीपीएम के खाता सं० 33/ 30 में पठन० 190/234 मु० 5 किलानं० 6/1/228, 6/2/025 गै०मु०, प०न० 191/234 मु० 6 किलानं० 1,3,4,5,


डिक्री एवं  
चक कलेक्टर  
टिब्बी

वादी सं० 3 जितेन्द्र व वादी सं० 4 सुभाषचन्द्र को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी - चकनं० 2 डीपीएम के खाता सं० 71/73 में पीरथीराम यानि प्रतिवादी सं० 2 के नाम की 1/2 हिस्सा की आराजी

घ. वादी सं० 3 जितेन्द्र को प्राप्त आराजी - चकनं० 2 डीपीएम के खाता सं० 33/30 के प०न० 190/234 मु० 5 किलानं० 5/1 / .228, 5/2/.026 गै०मु०

घ. प्रतिवादीसं० 1 कृष्ण कुमार को प्राप्त आराजी - चकनं० 2 डीपीएम के खाता सं० 34/31 में अंकित कुल 0.253 है० आराजी में से प्रतिवादीया सं० 3 के 1/2 हिस्सा उक्तानुसार के वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 2 डीपीएम के खाता सं० 34/31 में से प्रतिवादी 3 का नाम कलमजन, चक नं० 7 एम. के. एस के खता सं० 42/59 में से पृथ्वीराम, चकनं० 2 डीपीएम के खाता सं० 71/73 में से पीरथीराम व चकनं० 2 डीपीएम के खाता सं० 33/30 में से प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण कुमार का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.एस.)  
उपसक्रण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।